यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

करण सं0 – 66/2007	राजस्व वाद	तारीख दायर 18.07.2007	तारीख फैसला 15.10.2019

उनवान

1. मुन्ना लाल डाकोत आत्मज श्री लादूलाल डाकोत निवासी शाहपुरा
2. मूलचन्द शर्मा आत्मज श्री लादूलाल डाकोत निवासी शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. नगरपालिका शाहपुरा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :– वादीगण अभिभाषक – श्री त्रिलोकचन्द्र नौलखां
प्रतिवादी 1 – पैराकार सरकार
प्रतिवादी 2 :– श्री दुर्गा लाल राजौरा

–:: निर्णय ::–

वादीगणों द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित बंदोबस्त पूर्व की आराजी संख्या 4173, 4180, 4179 जो कि भगतराम पिता रामबक्ष महाजन की खातेदारी अधिकार एंव आधिपत्य की थी। उस आराजियात में से आराजी संख्या 4173 का 10 बिस्वा, 4180 का 1 बिस्वा, एवं 4179 का 9 बिस्वा कुल 1 बीघा जमीन खातेदार भगतराम महाजन ने तत्समय निम्न पाडौसान के वादीगण के पिता श्री लादूलाल डाकोत को दिनांक 02.05.1963 को विक्रय कर कब्जा व अधिकार सुपुर्द करते हुए विक्रय पत्र उनके पक्ष में निष्पादित कर दिया।
पडौस पूर्व में– विक्रेता श्री भगतराम की अन्य कृषि आराजी
पश्चिम में– मुन्नालाल डाकोत द्वारा क्रय की गई जमीन
उत्तर– में विक्रता श्री भगतराम की शेष आराजी
दक्षिण– श्रीबक्ष कोली एवं जगदीश पाराशर की जमीन
उक्त पाडौसान के मध्य की जमीन की खरीद की दिनांक से खरीददार लादूलाल का कब्जा व काश्त निरंतर था व लादूलाल फौत होने के पश्चात् वादीगण उक्त कृषि आराजी पर काबिज होकर काश्त चलते आ रहे है। स्वर्गीय लादूलाल डाकौत द्वारा क्रय की आराजीयात में से साबिक आराजी नम्बर 4173 का परिवर्तन मौके की स्थिति एवं कब्जे के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में साबिक आराजी नम्बर 4182 के साथ में किया हुआ है। इस प्रकार वादीगण साबिक आराजी नम्बर 4182 मि0, 4179 मि0, 4180 मि0, के एक बिघा के रकबे पर जिसके हाल नम्बर 7801 रकबा 0.53 है0 कायम हुआ उस पर काबिज चले आ रहे है। हाल आराजी नम्बर 7801 वादीगण श्री मुन्नालाल डाकोत द्वारा अलग से क्रय की साबिक आराजी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

संख्या 4173/2 के बजाय 4182/2 रकबा एक बिघा से मिलकर बना है। इस प्रकार हाल आराजी नम्बर 7801 का आधा भाग जौ कि शाहपुरा भीलवाड़ा सड़क से लगे हुये आधे भाग को छोड़कर पूर्व दिशा का है इसका इन्द्राज वादीगण राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर कराने के अधिकारी है लेकिन बंदोबस्त के दौरान इसका इन्द्राज बिलानाम सरकार के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से कर दिया एंव तत्पश्चात् बिलानाम इन्द्राज को नगरपालिका शाहपुरा के नाम इन्द्राज कर दिया जबकि यह भूमि दिनांक 02.05.1963 से ही वादीगण के पिता एंव एवं वादीगण के आधिपत्य में चली आ रही है। जिस पर राजस्थान राज्य एवं नगरपालिका शाहपुरा का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 में से पूर्वी तरफ के आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। इस हेतु ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा की सरहद में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों की ओर से पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत किया गया व वादपत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

वादपत्र व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात विरचित की गई।

तनकी नं 01 आया ग्राम शाहपुरा मे स्थित हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण घोषित करा, इन्द्राज दुरस्त कराने के अधिकारी है। जिम्मेवादी

तनकी नं 02 आया धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस विधिवत् नहीं दिया गया है अतः दावा काबिल खारिज के है। जिम्मेप्रतिवादी नं 02

तनकी नं 03 दादरसी

वादी की ओर से गवाह पी0डब्ल्यू0 1 मूलचन्द डाकौत पी0डब्ल्यू0 2 बृजमोहन पाराशर पी0डब्ल्यू0 3 सत्यनारायण तेली पी0डब्ल्यू0 4 ओमप्रकाश स्वर्णकार, पी0डब्ल्यू0 5 अर्जुनलाल कोली पेश हुये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विक्रय पत्र प्रदर्श 01, नामान्तरण संख्या 32 प्रदर्श 02, नामान्तरण संख्या 2141 प्रदर्श 03, मिलान खसरा प्रदर्श 04, जमाबन्दी संवत् 2060 से 63 प्रदर्श 05, नक्शा ट्रेश प्रदर्श 06, पंजीबद्ध सूचना पत्र प्रदर्श 07, पोस्टल रसिद पदर्श 08 व 09, नोटिस प्राप्ति रसीद प्रदर्श 10 व 11 , खसरा पत्रक प्रदर्श 12 है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई व न ही दस्तावेज पेश किये गये। उभयपक्ष बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी संख्या 01 आया ग्राम शाहपुरा मे स्थित हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण घोषित करा, इन्द्राज दुरस्त कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपनी ओर से साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 लगायत 05 परीक्षित कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 01 लगायत 11 तक दस्तावेजी प्रदर्शित करायें। प्रदर्श 01 विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि साबिक आराजी नम्बर 4173 में से 10 बिस्वा 4180 में से 1 बिस्वा 4179 में 09 बिस्वा कुल 1 बीघा जमीन को खातेदार भगतराम वल्द रामबक्ष महाजन को 99 रुपये प्रतिफल राशि अदा कर जमीन को वादीगण के पिता लादूलाल डाकोत द्वार खरीद किया जाकर कब्जा प्राप्त करने का तथ्य प्रकट होता है। अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 02 नामान्तरण संख्या 32 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि विक्रय पत्र प्रदर्श 01 के आधार पर वादीगण के पिता लादूलाल ने विक्रय पत्र नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया था किन्तु नामान्तरण पंजीका के कॉलम संख्या 16 में विक्रय पत्र व साबिक आराजी में मेल नहीं खाने की वजह से नामान्तरण खारीज कर दिया गया तत्पश्चात् उक्त कृषि आराजी खातेदार के नाम ही बदस्तूर रही। कालान्तर में भू–प्रबंध के दौरान विक्रय पत्र मे वर्णित आराजीयात बिलानाम दर्ज कर दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 05 हाल जमाबन्दी व

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

प्रदर्श 04 मिलान खसरा से प्रकट होता है। चूंकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त है एवं प्रदर्श 12 खसरा पत्रक के कॉलम संख्या 25 में हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 है0 में वादीगण के पिता लादूलाल का नाम अंकित किया हुआ है जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात के नये नम्बर 7801 के भू–प्रबंध के पश्चात् बनाये गये जो वादीगण के पिता लादूलाल के कब्जे व उपयोग उपभोग में रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौक्षिक साक्ष्य जो वादीगणों की ओर से प्रस्तुत की गई है उन्होंने हाल आराजी संख्या 7801 रकवा 0.53 है0 के पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से पर वादीगणों के पिता का कब्जा व उपयोग उपभोग के तथ्य को प्रमाणित करते व वादीगण के पिता लादूलाल के पिता फौत होने के पश्चात् वर्तमान में पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से 01 बीघा भूमि पर काबिज होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तथ्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौक्षिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादीगण ग्राम शाहपुरा पटवार क्षेत्र शाहपुरा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से अर्थात् 1 बीघा की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त अनुसार तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं 02 आया धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस विधिवत् नहीं दिया गया है अतः दावा काबिल खारिज के है। उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण को था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 07 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा विधिसम्मत दफा 80 जाप्ता दीवानी का सूचना पत्र प्रेषित किया जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुका है जो प्रदर्श 10 व 11 के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 02 इस तनकी को सावित करने में असफल रहे है। उक्त विवेचनानुसार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है ।

तनकी नं 03 दादरसी उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से अर्थात् 1 बीघा कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वर्तमान में हाल जमावंदी में प्रतिवादी संख्या 02 का नाम हटाया जाना उचित समझता हूं।

–:: आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्व की ओर का 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल जमावंदी में प्रतिवादी नं 02 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है । डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1. मुन्ना लाल डाकोत आत्मज श्री लादूलाल डाकोत निवासी शाहपुरा
2. मूलचन्द शर्मा आत्मज श्री लादूलाल डोकोत निवासी शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. नगरपालिका शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर 166 सन् 2007 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित हाल आराजी संख्या 7801 रकबा 0.53 है0 के पूर्व की ओर का 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल जमाबंदी में प्रतिवादी नं 02 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बावत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 15 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)